



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ 1945 (श०)

(सं० पटना 473) पटना, बृहस्पतिवार, 15 जून 2023

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

15 जून 2023

एस० ओ० 221, दिनांक 15 जून 2023—बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 की अधिनियम 27), बिहार वित्त अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 11, 2018) द्वारा यथासंशोधित की द्वारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, एतदद्वारा वाणिज्य—कर विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 43 दिनांक 02 जुलाई, 2007 (समय—समय पर यथासंशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :—

संशोधन

1. अधिसूचना संख्या एस०ओ० 43 दिनांक 02 जुलाई, 2007 के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 27 के स्तंभ 3 में :—
 - क) “दानापुर अंचल—1, दानापुर अंचल—2” शब्दों, अंकों एवं कॉमा को “दानापुर अंचल” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा;
 - ख) “पटना मध्य अंचल—1, पटना मध्य अंचल—2” शब्दों, अंकों एवं कॉमा को “पटना मध्य अंचल” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा;
 - ग) “गाँधी मैदान अंचल” शब्दों के पश्चात एक कॉमा अंतःस्थापित किया जायेगा और ऐसे अंतःस्थापित किये गये कॉमा के पश्चात “पटना दक्षिणी अंचल—1 और पटना दक्षिणी अंचल—2” शब्दों एवं अंकों को “एवं पटना दक्षिणी अंचल” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।
2. अधिसूचना संख्या एस०ओ० 43 दिनांक 02 जुलाई, 2007 के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 44, 45, 46 एवं 47 के स्तंभ 3 में ;
 - क) “दानापुर अंचल—1, दानापुर अंचल—2” शब्दों एवं कॉमा को “दानापुर अंचल” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा;
 - ख) “पटना मध्य अंचल—1, पटना मध्य अंचल—2” शब्दों, अंकों एवं कॉमा को “पटना मध्य अंचल” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा;

- ग) “गाँधी मैदान अंचल” शब्दों के पश्चात एक कॉमा अंतःस्थापित किया जायेगा और ऐसे अंतःस्थापित किये गये कॉमा के पश्चात “पटना दक्षिणी अंचल-1 और पटना दक्षिणी अंचल-2” शब्दों, अंकों एवं कॉमा को “एवं पटना दक्षिणी अंचल” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 48, 49 एवं 50 के स्तम्भ 2 में “पटना दक्षिणी अंचल-1” शब्दों एवं अंक को “पटना दक्षिणी अंचल” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।
4. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 50 एवं उसकी तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात, उक्त तालिका के स्तम्भ (1), (2) एवं (3) में निम्नलिखित नये क्रमांक एवं उनकी तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“50क	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल-2	”
50ख	राज्य कर उपायुक्त, पटना दक्षिणी अंचल-2	”
50ग	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल-2	” ”

5. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 54, 55 एवं 56 के स्तम्भ 2 में “पटना मध्य अंचल-1” शब्दों एवं अंक को “पटना मध्य अंचल” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।
6. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 56 एवं उसकी तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात उक्त तालिका के स्तम्भ (1), (2) एवं (3) में निम्नलिखित नये क्रमांक एवं उनकी तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

‘56क	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, पटना मध्य अंचल-2	”
56ख	राज्य कर उपायुक्त, पटना मध्य अंचल-2	”
56ग	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना मध्य अंचल-2	” ”

7. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के स्तम्भ (2) एवं (3) में वर्तमान क्रमांक 60 एवं 61 एवं उनकी तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ (2) एवं (3) में निम्नलिखित क्रमांक एवं तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“60	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, दानापुर अंचल-1	पालीगंज अनुमंडल का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र एवं दानापुर अनुमंडल का भौगोलिक क्षेत्र
61	राज्य कर उपायुक्त, दानापुर अंचल-1	” ”

8. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 61 के पश्चात स्तम्भ (1), (2) एवं (3) में निम्नलिखित नये क्रमांक 61क, 61ख, 61ग एवं 61घ एवं तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“61क	राज्य कर सहायक आयुक्त, दानापुर अंचल-1	”
61ख	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, दानापुर अंचल-2	”
61ग	राज्य कर उपायुक्त, दानापुर अंचल-2	”
61घ	राज्य कर सहायक आयुक्त, दानापुर अंचल-2	” ”

9. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 66, 67, 68 एवं 69 के स्तम्भ (3) में “मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-1, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-2,” शब्दों, अंकों एवं कॉमा को “मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल,” शब्दों एवं कॉमा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 70 के स्तम्भ (3) में,—
- क) “मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-1, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-2,” शब्दों, अंकों एवं कॉमा को “मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल,” शब्दों एवं कॉमा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा ;
- ख) “सारण अंचल-1, सारण अंचल-2,” शब्दों एवं कॉमा को “सारण अंचल,” शब्दों एवं कॉमा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 74, 75 एवं 76 के स्तंभ (2) में “मुजफरपुर पश्चिमी अंचल-1” शब्दों एवं अंक को “मुजफरपुर पश्चिमी अंचल” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

12. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 76 एवं उसकी तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात उक्त तालिका के स्तंभ (1), (2) एवं (3) में निम्नलिखित नये क्रमांक एवं तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“76क	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुजफरपुर पश्चिमी अंचल-2	”
76ख	राज्य कर उपायुक्त, मुजफरपुर पश्चिमी अंचल-2	”
76ग	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफरपुर पश्चिमी अंचल-2	” ”

13. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 87, 88, 89 एवं 90 के स्तंभ (3) में “सारण अंचल-1, सारण अंचल-2,” शब्दों, अंकों एवं कॉमा को “सारण अंचल,” शब्दों एवं कॉमा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

14. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के स्तंभ (2) एवं (3) में वर्तमान क्रमांक 93 एवं 94 एवं उनकी तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर स्तंभ (2) एवं (3) में निम्नलिखित क्रमांक एवं तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“93	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, सारण अंचल-1	सारण जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र
94	राज्य कर उपायुक्त, सारण अंचल-1	” ”

15. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 94 के पश्चात स्तंभ (2) एवं (3) में निम्नलिखित नये क्रमांक 94क, 94ख, 94ग एवं 94घ एवं तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“94क	राज्य कर सहायक आयुक्त, सारण अंचल-1	”
94ख	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, सारण अंचल-2	”
94ग	राज्य कर उपायुक्त, सारण अंचल-2	”
94घ	राज्य कर सहायक आयुक्त, सारण अंचल-2	” ”

16. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 99, 100, 101, 102 एवं 103 के स्तंभ (3) में “गया अंचल-1, गया अंचल-2,” शब्दों, अंकों एवं कॉमा को “गया अंचल” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

17. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 104, 105 एवं 106 के स्तंभ (2) में “गया अंचल-1” शब्दों एवं अंकों को “गया अंचल” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

18. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 106 एवं उसकी तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात, उक्त तालिका के स्तंभ (1), (2) एवं (3) में निम्नलिखित नये क्रमांक एवं उनकी तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“106क	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, गया अंचल-2	”
106ख	राज्य कर उपायुक्त, गया अंचल-2	”
106ग	राज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल-2	” ”

19. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 123, 124 एवं 125 के स्तंभ (2) में “भागलपुर अंचल-1” शब्दों एवं अंकों को “भागलपुर अंचल” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

20. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 125 एवं उसकी तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात उक्त तालिका के स्तंभ (1), (2) एवं (3) में निम्नलिखित नये क्रमांक एवं उनकी तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“125क	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, भागलपुर अंचल-2	”
125ख	राज्य कर उपायुक्त, भागलपुर अंचल-2	”
125ग	राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल-2	” ”

21. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 137, 138 एवं 139 के स्तंभ (2) में “पूर्णियाँ अंचल-1” शब्दों एवं अंकों को “पूर्णियाँ अंचल” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

22. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 139 एवं उसकी तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, उक्त तालिका के स्तंभ (1), (2) एवं (3) में निम्नलिखित नये क्रमांक एवं उनकी तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“139क	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, पूर्णियाँ अंचल—2	”
139ख	राज्य कर उपायुक्त, पूर्णियाँ अंचल—2	”
139ग	राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णियाँ अंचल—2	””

23. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 157, 158 एवं 159 के स्तंभ (2) में “दरभंगा अंचल—1” शब्दों एवं अंकों को “दरभंगा अंचल” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

24. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 159 एवं उसकी तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, उक्त तालिका के स्तंभ (1), (2) एवं (3) में निम्नलिखित नये क्रमांक एवं उनकी तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“159क	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, दरभंगा अंचल—2	”
159ख	राज्य कर उपायुक्त, दरभंगा अंचल—2	”
159ग	राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल—2	” ”

25. उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 172 के पश्चात् उक्त तालिका के स्तंभ (1), (2) एवं (3) में निम्नलिखित नये क्रमांक एवं उनकी तत्संबंधी प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“173	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना	पटना विशेष अंचल एवं पाटलीपुत्र अंचल को प्रदत्त क्षेत्राधिकार।
174	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना	”
175	राज्य कर उपायुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना	”
176	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना	”
177	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना	बिहारशरीफ अंचल, बाढ़ अंचल, पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना सिटी पश्चिमी अंचल, कदम कुआँ अंचल एवं पटना उत्तरी अंचल को प्रदत्त क्षेत्राधिकार।
178	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना	”
179	राज्य कर उपायुक्त (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना	”
180	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना	”
181	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना	शाहबाद अंचल, बक्सर अंचल, दानापुर अंचल—1, दानापुर अंचल—2, पटना पश्चिमी अंचल, पटना मध्य अंचल—1, पटना मध्य अंचल—2, गौंधी मैदान अंचल, पटना दक्षिणी अंचल—1 एवं पटना दक्षिणी अंचल—2 को प्रदत्त ¹ क्षेत्राधिकार।
182	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना	”
183	राज्य कर उपायुक्त (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना	”
184	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना	”
185	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण),	मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल,

	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल—1, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल—2, चम्पारण अंचल, बेतिया अंचल, रक्सौल अंचल, सीतामढ़ी अंचल एवं बगहा अंचल को प्रदत्त क्षेत्राधिकार।
186	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर	”
187	राज्य कर उपायुक्त (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर	”
188	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर	”
189	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), सारण	हाजीपुर अंचल, सारण अंचल—1, सारण अंचल—2, सीवान अंचल एवं गोपालगंज अंचल को प्रदत्त क्षेत्राधिकार।
190	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), सारण	”
191	राज्य कर उपायुक्त (अंकेक्षण), सारण	”
192	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सारण	”
193	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा	दरभंगा अंचल—1, दरभंगा अंचल—2, बेगुसराय अंचल, मधुबन्नी अंचल, झंझारपुर अंचल, समस्तीपुर अंचल एवं तेघड़ा अंचल को प्रदत्त क्षेत्राधिकार।
194	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा	”
195	राज्य कर उपायुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा	”
196	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा	”
197	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), गया	गया अंचल—1, गया अंचल—2, सासाराम अंचल, भम्भा अंचल, औरंगाबाद अंचल, जहानाबाद अंचल एवं नवादा अंचल को प्रदत्त क्षेत्राधिकार।
198	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), गया	”
199	राज्य कर उपायुक्त (अंकेक्षण), गया	”
200	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), गया	”
201	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर	मुग्रे अंचल, भागलपुर अंचल—1, भागलपुर अंचल—2, लखीसराय अंचल एवं जमुई अंचल को प्रदत्त क्षेत्राधिकार।
202	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर	”
203	राज्य कर उपायुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर	”

204	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर	”
205	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पूर्णियाँ	खगड़िया अंचल, पूर्णियाँ अंचल-1, पूर्णियाँ अंचल-2, मधेपुरा अंचल, सहरसा अंचल, किशनगंज अंचल, फारबिसगंज अंचल, कटिहार अंचल एवं सुपौल अंचल को प्रदत्त क्षेत्राधिकार।
206	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पूर्णियाँ	”
207	राज्य कर उपायुक्त (अंकेक्षण), पूर्णियाँ	”
208	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), पूर्णियाँ	” ”

26. वाणिज्य—कर विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस०ओ० 65, दिनांक 25 जुलाई, 2007 (समय—समय पर यथा संशोधित) को इस अधिसूचना निर्गमन के प्रभावी होने की तिथि से अधिक्रांत समझा जायेगा।
27. यह अधिसूचना दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी होगी।

[(सं०सं०-६ / वि०पत्रा०-२४-०९ / २०२०-१९८३)]
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

15 जून 2023

एस० ओ० 221, दिनांक 15 जून 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-६ / वि०पत्रा०-२४-०९ / २०२०-१९८३)]
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 15th June 2023

S.O. 221, Dated 15th June 2023—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), as amended by Bihar Finance Act, 2018 (The Bihar Act 11, 2018), the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following further amendments in notification numbers S.O. 43 dated the 2nd July, 2007 (as amended from time to time) issued by the Commercial Taxes Department, namely:-

Amendments

1. In column (3) of serial number 27 of the Table appended to notification number S.O. 43, dated 2nd July, 2007,-
 - a) the words, numbers and comma "Danapur Circle-1, Danapur Circle-2" shall be substituted for the words "Danapur Circle";
 - b) the words, numbers and comma "Patna Madhya Circle-1, Patna Madhya Circle-2" shall be substituted for the words "Patna Madhya Circle";
 - c) a comma shall be inserted after the words "Gandhimaidan Circle" and after the comma so inserted the words and numbers "Patna South Circle-1 and

Patna South Circle-2" shall be substituted for the words "and Patna South Circle".

2. In column (3) of serial numbers 44, 45, 46 and 47 of the Table apended to notification number S.O. 43, dated 2nd July, 2007,-
 - a) the words, numbers and comma "Danapur Circle-1, Danapur Circle-2" shall be substituted for the words "Danapur Circle";
 - b) the words, numbers and comma "Patna Madhya Circle-1, Patna Madhya Circle-2" shall be substituted for the words "Patna Madhya Circle";
 - c) a comma shall be inserted after the words "Gandhimaidan Circle" and after the comma so inserted the words and numbers "Patna South Circle-1 and Patna South Circle-2" shall be substituted for the words "and Patna South Circle".
3. The words and number "Patna South Circle-1" shall be substituted for the words "Patna South Circle" in column (2) of serial numbers 48, 49 and 50 of the Table appended to the said notification.
4. After serial number 50 and its corresponding entries of the Table appended to the said notification, the following new serial numbers and their corresponding entries shall be inserted in columns (1), (2) and (3) of the said Table, namely:-

"50A	Joint Commissioner of State Tax Patna South Circle-2	-do-
50B	Deputy Commissioner of State Tax Patna South Circle-2	-do-
50C	Assistant Commissioner of State Tax Patna South Circle-2	-do-

5. The words and number "Patna Madhya Circle-1" shall be substituted for the words "Patna Madhya Circle" in column (2) of serial numbers 54, 55 and 56 of the Table apended to the said notification.
6. After serial number 56 and its corresponding entries of the Table appended to the said notification, the following new serial numbers and their corresponding entries shall be inserted in columns (1), (2) and (3) of the said Table, namely:-

"56A	Joint Commissioner of State Tax Patna Madhya Circle-2	-do-
56B	Deputy Commissioner of State Tax Patna Madhya Circle-2	-do-
56C	Assistant Commissioner of State Tax Patna Madhya Circle-2	-do-

7. For the present serial numbers 60 and 61 and their corresponding entries in columns (2) and (3) of the Table appended to the said notification the following serial numbers and the corresponding entries in columns (2) and (3) shall be substituted, namely :-

"60	Joint Commissioner of State Tax Danapur Circle-1	The entire geographical area of Paliganj Sub-Division and geographical area of Danapur Sub-Division
61	Deputy Commissioner of State Tax Danapur Circle-1	-do-

8. After serial No.61 of the Table appended to the said notification the following new serial numbers 61A, 61B, 61C and 61D and the corresponding entries in columns (1), (2) and (3) shall be inserted, namely :-

61A	Assistant Commissioner of State Tax Danapur Circle-1	-do-
61B	Joint Commissioner of State Tax Danapur Circle-2	-do-
61C	Deputy Commissioner of State Tax Danapur Circle-2	-do-
61D	Assistant Commissioner of State Tax Danapur Circle-2	-do-"

9. In column (3) of serial numbers 66, 67, 68 and 69 of the Table apended to the said notification the words, numbers and comma "Muzaffarpur West Circle-1, Muzaffarpur West Circle-2," shall be substituted for the words and comma "Muzaffarpur West Circle,".
10. In column (3) of serial number 70 of the Table appended to the said notification,-
- a) the words, numbers and comma "Muzaffarpur West Circle-1, Muzaffarpur West Circle-2," shall be substituted for the words and comma "Muzaffarpur West Circle,";
 - b) the words, letters and comma "Saran Circle-1, Saran Circle-2" shall be substituted for the words and comma "Saran Circle,".
11. The words and number "Muzaffarpur West Circle-1" shall be substituted for the words "Muzaffarpur West Circle" in column (2) of serial numbers 74, 75 and 76 of the Table apended to the said notification.
12. After serial number 76 and its corresponding entries of the Table appended to the said notification, the following new serial numbers and their corresponding entries shall be inserted in columns (1), (2) and (3) of the said Table, namely :-

"76A	Joint Commissioner of State Tax Muzaffarpur West Circle-2	-do-
76B	Deputy Commissioner of State Tax Muzaffarpur West Circle-2	-do-
76C	Assistant Commissioner of State Tax Muzaffarpur West Circle-2	-do-"

13. In column (3) of serial numbers 87, 88, 89 and 90 of the Table appended to the said notification the words, numbers and comma "Saran Circle-1, Saran Circle-2," shall be substituted for the words and comma "Saran Circle,".
14. For the present serial numbers 93 and 94 and their corresponding entries in columns (2) and (3) of the Table appended to the said notification the following serial numbers and the corresponding entries in columns (2) and (3) shall be substituted, namely :-

"93	Joint Commissioner of State Tax Saran Circle-1	The whole of District of Saran
94	Deputy Commissioner of State Tax Saran Circle-1	-do-"

15. After serial No.94 of the Table appended to the said notification the following new serial numbers 94A, 94B, 94C and 94D and the corresponding entries in columns (1), (2) and (3) shall be, inserted, namely :-

S.No.	Designation of the Officers	
(1)	(2)	(3)
"94A	Assistant Commissioner of State Tax Saran Circle-1	-do-
94B	Joint Commissioner of State Tax Saran Circle-2	-do-
94C	Deputy Commissioner of State Tax Saran Circle-2	-do-
94D	Assistant Commissioner of State Tax Saran Circle-2	-do-

16. In column (3) of serial numbers 99, 100, 101, 102 and 103 of the Table appended to the said notification the words, numbers and comma "Gaya Circle-1, Gaya Circle-2," shall be substituted for the words "Gaya Circle."
17. The words and number "Gaya Circle-1" shall be substituted for the words "Gaya Circle" in column (2) of serial numbers 104, 105 and 106 of the Table appended to the said notification.
18. After serial number 106 and its corresponding entries of the Table appended to the said notification, the following new serial numbers and their corresponding entries shall be inserted in columns (1), (2) and (3) of the said Table, namely :-

"106A	Joint Commissioner of State Tax Gaya Circle-2	-do-
106B	Deputy Commissioner of State Tax Gaya Circle-2	-do-
106C	Assistant Commissioner of State Tax Gaya Circle-2	-do-

19. The words and number "Bhagalpur Circle-1" shall be substituted for the words "Bhagalpur Circle" in column (2) of serial numbers 123, 124 and 125 of the Table appended to the said notification.
20. After serial number 125 and its corresponding entries of the Table appended to the said notification, the following new serial numbers and their corresponding entries shall be inserted in columns (1), (2) and (3) of the said Table, namely :-

"125A	Joint Commissioner of State Tax Bhagalpur Circle-2	-do-
125B	Deputy Commissioner of State Tax Bhagalpur Circle-2	-do-
125C	Assistant Commissioner of State Tax Bhagalpur Circle-2	-do-

21. The words and number "Purnea Circle-1" shall be substituted for the words "Purnea Circle" in column (2) of serial numbers 137, 138 and 139 of the Table appended to the said notification.
22. After serial number 139 and its corresponding entries of the Table appended to the said notification, the following new serial numbers and their corresponding entries shall be inserted in columns (1), (2) and (3) of the said Table, namely :-

"139A	Joint Commissioner of State Tax Purnea Circle-2	-do-
139B	Deputy Commissioner of State Tax Purnea Circle-2	-do-
139C	Assistant Commissioner of State Tax Purnea Circle-2	-do-

23. The words and number "Darbhanga Circle-1" shall be substituted for the words "Darbhanga Circle" in column (2) of serial numbers 157, 158 and 159 of the Table appended to the said notification.

24. After serial number 159 and its corresponding entries of the Table appended to the said notification, the following new serial numbers and their corresponding entries shall be inserted in columns (1), (2) and (3) of the said Table, namely :-

"159A	Joint Commissioner of State Tax, Darbhanga Circle-2	-do-
159B	Deputy Commissioner of State Tax, Darbhanga Circle-2	-do-
159C	Assistant Commissioner of State Tax, Darbhanga Circle-2	-do-

25. After serial number 172 of the Table appended to the said notification the following new serial numbers and their corresponding entries shall be inserted in columns (1), (2) and (3) of the said Table, namely :-

"173	Additonal Commissioner of State Tax (Audit), Central Division, Patna	The territorial jurisdictions assigned to Patna Special Circle, and Patliputra Circle.
174	Joint Commissioner of State Tax (Audit), Central Division, Patna	-do-
175	Deputy Commissioner of State Tax (Audit), Central Division, Patna	-do-
176	Assistant Commissioner of State Tax (Audit), Central Division, Patna	-do-
177	Additional Commissioner of State Tax (Audit), Patna East Division, Patna	The territorial jurisdictions assigned to Biharsharif Circle, Barh Circle, Patna City East Circle, Patna City West Circle, Kadamkuan Circle and Patna North Circle.
178	Joint Commissioner of State Tax (Audit), Patna East Division, Patna	-do-
179	Deputy Commissioner of State Tax (Audit), Patna East Division, Patna	-do-
180	Assistant Commissioner of State Tax (Audit), Patna East Division, Patna	-do-
181	Additional Commissioner of State Tax (Audit), Patna West Division, Patna	The territorial jurisdictions assigned to Shahabad Circle, Buxar Circle, Danapur Circle-1, Danapur Circle-2, Patna West Circle, Patna Madhya Circle-1, Patna Madhya Circle-2, Gandhimaidan Circle, Patna South Circle-1 and Patna South Circle-2
182	Joint Commissioner of State Tax (Audit), Patna West Division, Patna	-do-
183	Deputy Commissioner of State Tax (Audit), Patna West Division, Patna	-do-
184	Assistant Commissioner of State Tax (Audit), Patna West Division, Patna	-do-
185	Additonal Commissioner of State Tax (Audit), Muzaffarpur	The territorial jurisdictions assigned to Muzaffarpur East Circle, Muzaffarpur West Circle-1, Muzaffarpur West Circle-2,

		Champanar Circle, Bettiah Circle, Raxaul Circle, Sitamarhi Circle, and Bagaha Circle.
186	Joint Commissioner of State Tax (Audit), Muzaffarpur	-do-
187	Deputy Commissioner of State Tax (Audit), Muzaffarpur	-do-
188	Assistant Commissioner of State Tax (Audit), Muzaffarpur	-do-
189	Additonal Commissioner of State Tax (Audit), Saran	The territorial jurisdictions assigned to Hajipur Circle, Saran Circle-1, Saran Circle-2, Siwan Circle and Gopalganj Circle.
190	Joint Commissioner of State Tax (Audit), Saran	-do-
191	Deputy Commissioner of State Tax (Audit), Saran	-do-
192	Assistant Commissioner of State Tax (Audit), Saran	-do-
193	Additonal Commissioner of State Tax (Audit), Darbhanga	The territorial jurisdictions assigned to Darbhanga Circle-1, Darbhanga Circle-2, Begusarai Circle, Madhubani Circle, Jhanjharpur Circle, Samastipur Circle and Teghra Circle.
194	Joint Commissioner of State Tax (Audit), Darbhanga	-do-
195	Deputy Commissioner of State Tax (Audit), Darbhanga	-do-
196	Assistant Commissioner of State Tax (Audit), Darbhanga	-do-
197	Additonal Commissioner of State Tax (Audit), Gaya	The territorial jurisdictions assigned to Gaya Circle-1, Gaya Circle-2, Sasaram Circle, Bhabhua Circle, Aurangabad Circle, Jehanabad Circle and Nawada Circle.
198	Joint Commissioner of State Tax (Audit), Gaya	-do-
199	Deputy Commissioner of State Tax (Audit), Gaya	-do-
200	Assistant Commissioner of State Tax (Audit), Gaya	-do-
201	Additonal Commissioner of State Tax (Audit), Bhagalpur	The territorial jurisdictions assigned to Munger Circle, Bhagalpur Circle-1, Bhagalpur Circle-2, Lakhisarai Circle and Jamui Circle.
202	Joint Commissioner of State Tax (Audit), Bhagalpur	-do-

203	Deputy Commissioner of State Tax (Audit), Bhagalpur	-do-
204	Assistant Commissioner of State Tax (Audit), Bhagalpur	-do-
205	Additional Commissioner of State Tax (Audit), Purnea	The territorial jurisdictions assigned to Khagaria Circle, Purnea Circle-1, Purnea Circle-2, Madhepura Circle, Saharsa Circle, Kishanganj Circle, Forbesganj Circle, Katihar Circle and Supaul Circle.
206	Joint Commissioner of State Tax (Audit), Purnea	-do-
207	Deputy Commissioner of State Tax (Audit), Purnea	-do-
208	Assistant Commissioner of State Tax (Audit), Purnea	-do-

26. Notification Number S.O. 65, dated 25th July, 2007 (as amended from time to time), issued by the Commercial Taxes Department shall be superseded with effect from the date of coming into force of this notification.
27. This notification shall come into force with effect from dated 01.07.2023.

**[File No. 6/Vi Patra.-24-09/2020-1983]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 473-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>